

- ✓ संस्था की शिक्षण-प्रशिक्षण हेतु उपयुक्त साहाय्यता उपलब्ध कराने के साथ, ऐतिहासिक संस्थाओं के सम्बन्ध में समस्त आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित कराती होगी।
- ✓ संस्था या सुनिश्चित हो ने कि संस्था में प्रत्येकित/समाहित पाठ्यक्रम को पढ़ाये जाने हेतु निरीक्षण समिति के समक्ष उपलब्ध कराये गये अभिलेख/भूमि-आगत, भवन-परिचय, उपकरण इत्यादि का यदि संस्था द्वारा किसी अन्य पाठ्यक्रम के संघर्ष में प्रयोग किया जाता है और परिषद को इसकी जानकारी होती है कि संस्था उपरोक्त का प्रयोग किसी अन्य कार्य के लिए कर रही है तो तत्काल संस्था की सम्बद्धता समाप्त किये जाने की अनुमति की जायेगी।
- ✓ संस्था के वार्षिक निरीक्षण दौरान यदि संस्था में भूमि, भवन, प्रयोगशाला, उपकरण एवं अन्य साम-सम्पत्तियों का कोई भी अयोग्य उपयोग/अपयोग/अपयोग नही पाया जाता है तो संस्था की सम्बद्धता समाप्त कर दी जाएगी।
- ✓ सम्बद्धता धारी का अनुपालन न किये जाने अथवा धारी का उन्मूलन किये जाने की स्थिति में निम्नानुसार अनुशासनव्यवस्था कार्यवाही की जायेगी।

(सुनील कुमार सोनकर)

सचिव

पू0स0- पश्चिम/परिषद सम्बद्धता/2021/3538-4809

दिनांक: 09/08/2021

पतिनिर्णी -

पश्चिम/परिषद PT. TRIPURARI MISHRA ADARSH PHARMACY COLLEGE VILL-TAJPUR GARHA POST-SARAIPALTU
TEHSIL-LALGANJ, AZAMGARH-270302


(सुनील कुमार सोनकर)

सचिव

**कार्यालय,
सचिव, प्राविधिक शिक्षा परिषद,
उत्तर प्रदेश लखनऊ।**

संख्या- प्राशिष/परिषद सम्बद्धता/2019/1132

लखनऊ दिनांक: 15-5-2019

:-कार्यालय ज्ञाप:-

अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद द्वारा एप्रिल सत्र 2019-20 हेतु डिप्लोमा स्तरीय तकनीकी शिक्षा संस्थाओं को अनुमोदन प्रदान किए जाने को उपरान्त प्राविधिक शिक्षा परिषद, उद्योग लखनऊ से सम्बद्धता/सम्बद्धता विस्तार प्रदान किए जाने हेतु दिनांक 14-5-2019 को अध्यक्ष, प्राविधिक शिक्षा परिषद उद्योग लखनऊ की अध्यक्षता में परिषद कार्यालय में बैठक संपन्न हुई। बैठक में सत्र 2019-20 हेतु आवेदित नई संस्थाओं को सम्बद्धता/पूर्व से संचालित संस्थाओं का सम्बद्धता विस्तार/पाठ्यक्रम/प्रवेश क्षमता वृद्धि/कमी हेतु सत्र 2019-20 हेतु सम्बद्धता प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया।

उक्त के अनुक्रम में सम्बद्धता समिति की बैठक के मद्-16 में डिप्लोमा इन फार्मेसी पाठ्यक्रम संचालित करने वाली नई संस्था का प्रकरण रखा गया। सम्बद्धता समिति द्वारा गहन विचार-विमर्श के निम्नलिखित निर्णय लिया गया -

समिति द्वारा विचार-विमर्श किया गया कि ऐसी नवस्थापित निम्न डिप्लोमा इन फार्मेसी संस्थाओं को ए0आई0सी0टी0ई0 एवं पी0सी0आई0 द्वारा अनुमोदन प्रदान किया गया है, एवं परिषद की निरीक्षण समिति द्वारा निरीक्षणोपरान्त ए0आई0सी0टी0ई0 द्वारा अनुमोदित पाठ्यक्रमों के अनुरूप सत्र 2019-20 हेतु परिषद से सम्बद्धता प्रदान किये जाने हेतु संस्तुति प्रदान की गयी है, के संबंध में समिति द्वारा विचार-विमर्श किया गया एवं सर्वसम्मति से संस्थाओं को सत्र 2019-20 हेतु परिषद से सम्बद्धता प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया।।”

अतः निम्नानुसार संस्थाओं को परिषद की निरीक्षण समिति एवं विचार-विमर्श द्वारा की गयी संस्तुति तथा सम्बद्धता समिति द्वारा लिये गये निर्णय के आधार पर प्राविधिक शिक्षा परिषद, उद्योग लखनऊ द्वारा सत्र 2019-20 हेतु निम्नलिखित शर्तों के अधीन पाठ्यक्रम एवं उसमें अंकित प्रवेश क्षमता हेतु सम्बद्धता प्रदान की जाती है -

क्र. सं.	संस्था का नाम	संस्था का नाम	पाठ्यक्रम का नाम	ए0आई0सी0टी0ई0/पी0सी0आई0 द्वारा सत्र 2019-20 में अनुमोदित प्रवेश क्षमता	परिषद द्वारा सत्र 2019-20 में अनुमोदित प्रवेश क्षमता
1	4029	एम विद्युत-मिथा (एनए) फार्मेसी क्विन्स, आरएमएड	डिप्लोमा इन फार्मेसी	60	60

सम्बद्धता हेतु शर्तें

- ✓ संस्था ए0आई0सी0टी0ई0 द्वारा निर्धारित की गयी शर्तों का पूर्णतः पालन करेगी।
- ✓ संस्था उत्तर प्रदेश प्राविधिक शिक्षा परिषद मुक्त नगर 1992 तथा प्राविधिक शिक्षा परिषद दिनांकमध्यानी 1992 तथा अन्य विधायक नियमों एवं आदेशों का अनुपालन करेगी तथा शुल्क निर्धारण समिति द्वारा निर्धारित शुल्क और वार्षिक पाठ्यक्रमों (पी वार्षिक कार्यक्रमों पाठ्यक्रमों सहित) हेतु रु०- 45,000.00/- प्रतिवर्ष एवं एम एम टी वार्षिक पाठ्यक्रमों हेतु रु०- 22,500.00 शुल्क ही प्रत्येक छात्र/छात्रा से जमा किया जाएगा। उपरोक्त के अतिरिक्त छात्रों से शुल्क की संग्रह में संस्था-समय पर शासन द्वारा निर्मित किये जाने वाले शासनादेश जमावें और, और अनुसृत कार्यवाही किया जाना आवश्यक होगा। जोस निर्धारण समिति द्वारा यदि सत्र 2019-20 हेतु शर्तों का पुनर्निर्धारण किया जाता है, तो फीस की नवीनतम दर लागू होगी।

- ✓ संस्था को (उपरोक्त प्राथमिक शिक्षा समितियों तथा उप समितियों) संरक्षणों को सम्बद्ध किया जाने/ विनियमावली-2009 को तर्कों को अनुपालन करना होगा।
- ✓ संस्था में संपुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद द्वारा आयोजित प्रश्नों को ही प्रवेश दिया जायेगा। सीटों के रिक्त रूप जाने की स्थिति में यथा संभव प्रदेश शासन के निर्देशानुसार ही प्रवेश की आवश्यकता की जायेगी।
- ✓ संस्था को समय-समय पर विवेक प्रशासनिक को अनुसार निरीक्षण एवं सम्बद्धता सुनिश्चित करना करना होगा।
- ✓ संस्था को एडमिशन/सीट/फीस से आगामी वर्ष हेतु अनुमोदन प्राप्त किया जाना आवश्यक होगा।
- ✓ संस्था उच्च प्रदेश शासन द्वारा प्रेषण एवं विधि/विद्यालय/अधिनियमों/शासनादेशों/निर्देशों एवं निदेशक प्राथमिक शिक्षा 10000 संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद 10000 तथा प्राथमिक शिक्षा परिषद 10000 द्वारा कराये गये विद्यार्थी विनियमों आदेशों, निर्देशों का पालन करने के विषये बाध्य होगी।
- ✓ जिसका इन मामलों पर पर्यवेक्षण की संस्थाएं यदि किसी आई नई दिल्ली से अनुमोदन प्राप्त करना में आवश्यक नहीं है तो इन संबंध में संस्था उच्चतरदायित्व संस्था का होगा और विधिक रूप से किसी को आवेदकों के लिए संस्था स्वयं उत्तरदायी होगी। प्राथमिक शिक्षा परिषद संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद प्राथमिक शिक्षा विदेशाचार्य एवं प्राथमिक शिक्षा विभाग उच्चतर प्रदेश शासन को कोई भी दावा किया जाता है तथा दावा एवं के संबंध में या न्यायालय द्वारा किसी प्रकार की प्रतिभूति राखी आदेश निरस्त किया जाता है तो संस्था प्रतिभूति संबंधित संस्था को करनी होगी।
- ✓ जिसका इन मामलों पर पर्यवेक्षण संयोजित करने वाली संस्थाओं को संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद उच्चतर प्रदेश शासन द्वारा प्रेषण एवं के लिए आवेदित प्रवेश परीक्षा हेतु काउन्सिलिंग प्रारंभ होने के पूर्व एडमिशन/सीट से अनुमोदन प्राप्त एवं परिषद कार्यालय को उपलब्ध कराना होगा अन्यथा सन्दे प्रवेश की (काउन्सिलिंग के माध्यम से अथवा संस्था स्तर पर सीधे प्रवेश) अनुमति नहीं प्रदान की जायेगी।
- ✓ उच्च प्रदेश शासन द्वारा प्रेषण हेतु निहित नवीनतम आरक्षण नियमों का अनुपालन करना आवश्यक होगा।
- ✓ संस्था को अपने विद्यार्थी पर संस्था की समस्त सुविधाएं जैसे संस्था की ऐतिहासिक प्रतिभूति स्तंभों शासनादेशों/निर्देशों/विधि विनियमों का पालन करना सुनिश्चित करना होगा।
- ✓ संस्था को शिक्षण-प्रशिक्षण हेतु उपयुक्त वातावरण उपलब्ध कराने की संस्था तैयार रखने के सम्बन्ध में संस्था आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित करनी होगी।
- ✓ संस्था को सुनिश्चित हो ले कि संस्था में प्रस्तावित/संबंधित पर्यवेक्षण को चलाने जाने हेतु निरीक्षण समिति के सम्बन्ध में संस्था संस्था के तहत अतिरिक्त भूमि-भवन, कक्षाएं, उपकरण इत्यादि का यदि संस्था द्वारा किसी अन्य पर्यवेक्षण के सम्बन्ध में प्रेषण किया जाता है उच्चतर प्रदेश को इतनी जानकारी होगी कि संस्था उच्चतर प्रदेश का प्रयोग किसी अन्य कार्य के लिए कर रही है तो तत्काल संस्था को सम्बद्धता समाप्त किये जाने की अनुमति की जायेगी।
- ✓ सम्बद्धता वाले को अनुपालन में किये जाने अथवा नहीं का उच्चतर प्रदेश किये जाने की स्थिति में विद्यमानाचार्य अनुशासनाचार्य कार्यवाही की जायेगी।

(समीप कुमार सिंह)
राशिप

पुस्तक- प्राथमिक/परिषद सम्बद्धता/2019/1133-2262

तृतीय दिनांक: 15-8-2019

प्रतिलिपि-प्रधानाचार्य/निदेशक, पं० विपुलारी शिक्षा आदर्श परमेश्वरी प्रीमेज, आनंदनगर।

(समीप कुमार सिंह)
राशिप

**कार्यालय,
सचिव, प्राविधिक शिक्षा परिषद,
उत्तर प्रदेश लखनऊ।**

संख्या:- प्राशिप/परिषद/सम्बद्धता/2020/1971

लखनऊ: दिनांक: 15-8-2020

:-कार्यालय ज्ञाप:-

अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, नई दिल्ली/फार्मसी काउन्सिल ऑफ इण्डिया, नई दिल्ली द्वारा शैक्षिक सत्र 2020-21 हेतु डिप्लोमा स्तरीय तकनीकी शिक्षण संस्थाओं को अनुमोदन प्रदान किए जाने के उपरान्त प्राविधिक शिक्षा परिषद, उ०प्र० लखनऊ से सम्बद्धता/सम्बद्धता विस्तार प्रदान किए जाने हेतु दिनांक 14-8-2020 को आगत, प्राविधिक शिक्षा परिषद, उ०प्र० लखनऊ की अध्यक्षता में परिषद कार्यालय में बैठक सम्पन्न हुई। बैठक में समिति द्वारा सत्र 2020-21 हेतु आवेदित नई संस्थाओं को सम्बद्धता/पूर्व से संचालित संस्थाओं को सम्बद्धता विस्तार/पाठ्यक्रम/प्रवेश क्षमता वृद्धि सहित अन्य मदों पर विचार करते हुए सत्र 2020-21 हेतु सम्बद्धता प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया।

उक्त के अनुक्रम में सम्बद्धता समिति की बैठक के मद-3 में डिप्लोमा इन फार्मसी पाठ्यक्रम संचालित करने वाली पूर्व से सम्बद्ध संस्थाओं का प्रकरण रखा गया। सम्बद्धता समिति द्वारा महान विचार-विमर्श कर निम्नवत् निर्णय लिया गया -

“ निम्नी क्षेत्र में स्थापित डिप्लोमा इन फार्मसी पाठ्यक्रम संचालित करने वाली संस्थाएं, जो प्राविधिक शिक्षा परिषद, उ०प्र० लखनऊ से पूर्व से सम्बद्ध हैं, एवं सत्र 2020-21 हेतु पी०सी०आई० द्वारा उन्हें यथावत् अनुमोदन विस्तार प्रदान किया गया है। इन संस्थाओं में पी०सी०आई० द्वारा प्रदान किये गये अनुमोदन विस्तार के अनुसार उनके नाम के सम्मुख अंकित पाठ्यक्रम/प्रवेश क्षमता के साथ सत्र 2020-21 हेतु परिषद से सम्बद्धता विस्तार प्रदान किये जाने पर समिति द्वारा विचार-विमर्श किया गया एवं सर्वसम्मति से पी०सी०आई० द्वारा प्रदत्त अनुमोदन विस्तार के अनुक्रम में सत्र 2020-21 हेतु परिषद से सम्बद्धता विस्तार दिये जाने का निर्णय लिया गया।”

दिनांक 14-08-2020 को आगत सम्बद्धता समिति की बैठक में लिये गये उपरोक्त निर्णय के अनुक्रम में निम्न संस्था को प्राविधिक शिक्षा परिषद, उ० प्र० लखनऊ द्वारा सत्र 2020-21 हेतु निर्मांकित शर्तों के अधीन पाठ्यक्रम एवं उसमें अंकित प्रवेश क्षमता हेतु सम्बद्धता विस्तार प्रदान की जाती है -

क्र० सं०	संस्था कोड	संस्था का नाम	पाठ्यक्रम का नाम	पी०सी०आई० द्वारा सत्र 2020-21 में अनुमोदित प्रवेश क्षमता	पी०सी०आई०/परिषद द्वारा सत्र 2020-21 में अनुमोदित प्रवेश क्षमता
1.	4029	एम विप्लवी मित्रा अचम फार्मसी कॉलेज किलेज-ताजपुर गढ़ पी०-महाप्रजन्त (ए०-कालपंज आज़मगढ़)।	डिप्लोमा इन फार्मसी	60	60

सम्बद्धता हेतु शर्तें

- ✓ संस्था ए०आई०सी०टी०ई०/पी०सी०आई० द्वारा निर्धारित की गयी शर्तों का पूर्णतः पालन करेगी।
- ✓ संस्था उत्तर प्रदेश प्राविधिक शिक्षा परिषद एक्ट 1982 तथा प्राविधिक शिक्षा परिषद विनियमवाली 1982, सेनेस्टर विनियमवाली-2018 तथा अन्य निर्मित विधियों एवं आदेशों का अनुपालन करेगी तथा कुल निवारण समिति द्वारा निर्धारित शुल्क तीन वर्षीय इंजीनियरिंग पाठ्यक्रमों हेतु रु० 30,180.00/- प्रतिवर्ष, दो वर्षीय फार्मसी पाठ्यक्रम हेतु रु०- 45,000.00/- प्रतिवर्ष एवं एक तथा दो वर्षीय पाठ्यक्रमों (दो वर्षीय फार्मसी पाठ्यक्रम के अतिरिक्त) हेतु रु०-22,500.00- प्रतिवर्ष शुल्क की प्रत्येक छात्र/छात्रा

से प्राप्त किया जायेगा। उपरोक्त के अतिरिक्त छात्र/छात्राओं से शुल्क को सम्बन्ध में समय-समय पर वास्तव द्वारा निर्गत किये जाने वाले शासनादेश प्रभावी होंगे, और तदनुसार कार्यवाही किया जाना आवश्यक होगा। फॉस निर्धारण समिति द्वारा यदि सत्र 2020-21 हेतु फॉस का पुनर्निर्धारण किया जाता है, तो फॉस को नवीनतम दर लागू होगी।

- ✓ संस्था को (छात्रा प्रविधिक शिक्षा समितियाँ तथा उप समितियाँ, संस्थाओं को सम्बद्ध किया जाना) विनियमवली-2000 की सर्वा को अनुपालन करना होगा।
- ✓ संस्था में संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद द्वारा आवंटित छात्रों को ही प्रवेश दिया जायेगा। सीटों के रिक्त रह जाने की स्थिति में उत्तर प्रदेश शासन के निर्देशानुसार ही प्रवेश की कार्यवाही की जायेगी।
- ✓ संस्था को समय-समय पर निम्न शासनादेश के अनुसार निरीक्षण एवं सम्बद्धता शुल्क जमा करना होगा।
- ✓ संस्था को ए०आई०एसीआई०/पी०सी०आई० से आगामी सत्र हेतु अनुमोदन प्राप्त किया जाना आवश्यक होगा।
- ✓ संस्था उत्तर प्रदेश शासन द्वारा बनाये गये विधि/नियमों/अधिनियमों/शासनादेशों/निर्देशों एवं निर्देशक, प्राविधिक शिक्षा, उ०प्र०, संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, उ०प्र० तथा प्राविधिक शिक्षा परिषद, उ०प्र० द्वारा बनाये गये नियमों, विनियमों, आदेशों, निर्देशों का पालन करने के लिये बाध्य होगी।
- ✓ डिप्लोमा इन फार्मेसी पाठ्यक्रम की संस्थाएँ यदि पी.सी.आई. नई दिल्ली से अनुमोदन प्राप्त करने में असफल रहती है तो इस संबंध में सम्स्त उत्तरप्रदेशिय संस्था का होगा और विधिक रूप से किसी भी कार्यवाही के लिए संस्था सारा उत्तरदायी होगी। प्राविधिक शिक्षा परिषद, संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, प्राविधिक शिक्षा निदेशालय एवं प्राविधिक शिक्षा विभाग। उत्तर प्रदेश शासन को कोई बाध वापर किया जाता है तथा वापर जोड़ के संबंध में मा. न्यायालय द्वारा किसी प्रकार की प्रतिपूर्ति संबंधी आदेश निर्गत किया जाता है तो सम्स्त प्रतिपूर्ति संबंधित संस्था को करनी होगी।
- ✓ डिप्लोमा इन फार्मेसी पाठ्यक्रम संचालित करने वाली संस्थाओं को संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रत्येक वर्ष के लिए आवंटित प्रवेश परीक्षा हेतु कारउन्सिलिंग आरंभ होने की पूर्व पी०सी०आई० से अनुमोदन प्राप्त कर परिषद कार्यालय को उपलब्ध कराना होगा अन्यथा उन्हें प्रवेश की (कारउन्सिलिंग को सहाय्य से अथवा संस्था स्तर पर सीधे प्रवेश) अनुमति नहीं प्रदान की जायेगी।
- ✓ उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रवेश हेतु निर्गत नवीनतम आख्या, नियमों का अनुपालन करना आवश्यक होगा।
- ✓ संस्था को अपने वेबसाइट पर संस्था की सम्स्त सूचनाएँ जैसे संस्था की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, स्टाफ, छात्र-संख्या, उपकरण, प्राप्त किया जाने वाला शुल्क, छात्रसंख्या शुल्क आदि का विवरण उपलब्ध कराना होगा।
- ✓ संस्था को शिक्षण-प्रशिक्षण हेतु उपयुक्त वातावरण उपलब्ध कराने के साथ रेगिस्टर रोडने के सम्बन्ध में सम्स्त आवश्यक चादरला सुनिश्चित करनी होगी।
- ✓ संस्था यह सुनिश्चित हो ले कि संस्था में प्रस्तावित/संचालित पाठ्यक्रम को चलाये जाने हेतु निरीक्षण समिति के संस्था उपलब्ध कराये गये अतिरिक्त, भू-भवन, फर्नीचर, उपकरण इत्यादि का यदि संस्था द्वारा किसी अन्य पाठ्यक्रम के संचालन में प्रयोग किया जाता है और परिषद को इसकी जानकारी होती है कि संस्था उपरोक्त का प्रयोग किसी अन्य कार्य के लिए कर रही है तो तत्काल संस्था की सम्बद्धता समाप्त किये जाने की अनुमति की जायेगी।
- ✓ सम्बद्धता शर्तों का अनुपालन न किये जाने अथवा शर्तों का उल्लंघन किये जाने की स्थिति में नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही की जायेगी।

(को आर०के० सिंह)
सचिव

पू०सं०- शाशिप/परिषद सम्बद्धता/2020/ 1972-3141

सद् दिनांक: 15-09-2020

प्रतिलिपि-प्रधानाचार्य/निदेशक, ए० त्रिपुरारी मिशा आदर्श फार्मेसी कॉलेज विलेज-ताजपुर गढ़
पोंड-सरायपलद, गढ़- जालगढ़, आजमगढ़।

(को आर०के० सिंह)
सचिव